

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगु/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांक: 02.02.2021 के तहत मोनिका परमार, ध्याख्याता रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि पिण्डवाडा, सिरौही से राउमावि 10 डी.ओ.एल. श्रीगंगानगर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध मोनिका परमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6655/2021 मोनिका परमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 6655/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 01.07.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में मोनिका परमार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरित विद्यालय श्रीगंगानगर से 200 कि.मी. दूर होने, स्वयं के पति के श्रीगंगानगर में निजी क्षेत्र कार्यरत होने तथा दो छोटी पुत्रियों की जिम्मेदारी होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि, मल्टीपर्सज, श्रीगंगानगर में करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर ही पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकाथी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।


(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगु/मोनिका परमार/को.के./6655/2021

दिनांक:- 22.07.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग,
3. राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. संबंधित संस्था प्रधान।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।
11. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर